फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरसिंह **विपक्षी : पटवारी**

किस्म मुकदमा – 131 भू.रा. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 152/23**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पक्षों तथा मुख्तयार जहाँ की गई

दिनांक : 01.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त, शामिल फाईल रहे। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट अनुसार तरमीम किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वादपत्र के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1641/56 रकबा 0.8741 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी को वर्ष 1985 में आंवटन हुई थी। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में गलत तरमीम हो चुकी हैं, जिसे प्रार्थी द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसमें तहसीलदार मावली द्वारा वर्तमान में राजस्व नक्शें में तरमीम को प्रार्थी के कब्जे अनुसार नहीं होना बताया है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में खातेदार द्वारा मौके पर पत्थर की कोट बनाकर उपयोग करना बताया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि की तरमीम आराजी नम्बर 54 के दक्षिणी दिशा में होना बताया जबकि प्रार्थी का कब्जा आराजी नम्बर 54, 135 तथा दक्षिणी दिशा में बिलोता की तरफ जाने वाले रास्ते के मध्य होना बताकर इसी अनुसार तरमीम किये जाने हेतु नक्शा प्रस्तावित किया है एवं इसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने की अनुशंषा की गई हैं। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रस्तावित नक्शें अनुसार कब्जे के आधार पर नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायाहित में उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरवडो का गुडा पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 1641/56 रकबा 0.8741 हेक्टेयर भूमि को राजस्व नक्शें में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2024.01.13 11:37:56 IST
Reason: SelfAttested